

अनुमंडल कार्यालय, गोडडा

349

19.01.2018

कार्यालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोडडा।

350

प्रेषक,

पत्रांक.....55...../भू0सु0

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
गोडडा।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
गोडडा।

गोडडा, दिनांक-07/जनवरी, 2018

विषय :- आर0ई0आर0 केश नं0-59/2015-16 सुरेश झा बनाम् अनिल यादव वगैरह का मूल अभिलेख भेजने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-38/रे0मु0, दिनांक-06.02.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा आर0ई0आर0 केश नं0-59/2015-16 सुरेश झा बनाम् अनिल यादव वगैरह के मूल अभिलेख की माँग की गई है। तदनुसार उक्त वाद मूल रूप में भवदीय न्यायालय को वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- आर0ई0आर0 केश नं0-59/2015-16
सुरेश झा बनाम् अनिल यादव
वगैरह का मूल अभिलेख।

विश्वासभाजन,
R. 17.01.2018

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
गोडडा।

अनुमंडल कार्यालय. गोंडा

349

पत्रांक 38 दि० मु.

प्रेषक : अनुमंडल पदाधिकारी,
गोंडा।

सेवा में : भूमि सुधार उप. समिति,
गोंडा।

गोंडा. दिनांक 6-2-18

विषय :- आर. ई. आर. केशन 59/15.16
सुरेश का. वनाम. अनिल आदु
वगैरह अभिलेख वापस करने
के सम्बन्ध में।

वि० म०

महोदय, उपर्युक्त विषयक वाद के अन्तर्गत
सुरेश का की ओर से अप्पोइस्ताक्षरी के
न्यायालय में वापस कर वाद में पुनर्वादी
के लिए आवेदन दिये जा चुके हैं। अतः
मूल में संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त वाद
अप्पोइस्ताक्षरी के न्यायालय को वापस
करने की कृपा की जाय।

विश्वास भाजन

अनुमंडल
पदाधिकारी

अनुमंडल पदाधिकारी
गोंडा

कार्यालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा।

350

पत्रांक.....५५...../भू०सु०

प्रेषक,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
गोड्डा।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
गोड्डा।

गोड्डा, दिनांक-०७/जनवरी, 2018

विषय :- आर०ई०आर० केश नं०-59/2015-16 सुरेश झा बनाम् अनिल यादव वगैरह का मूल अभिलेख भेजने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-38/रे०मु०, दिनांक-06.02.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा आर०ई०आर० केश नं०-59/2015-16 सुरेश झा बनाम् अनिल यादव वगैरह के मूल अभिलेख की माँग की गई है। तदनुसार उक्त वाद मूल रूप में भवदीय न्यायालय को वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- आर०ई०आर० केश नं०-59/2015-16
सुरेश झा बनाम् अनिल यादव
वगैरह का मूल अभिलेख।

विश्वासभाजुन,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
गोड्डा।